



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271246
CG-DL-E-24032026-271246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1467]

नई दिल्ली मंगलवार, मार्च 24, 2026/चैत्र 3, 1948

No. 1467]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/CHAITRA 3, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

का.आ. 1532(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे "आयकर अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, "शहरी सुधार ट्रस्ट, सीकर" (पैन: AAATU6139J) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे "निर्धारिती" कहा गया है) को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 1959 की 35) के तहत गठित एक ट्रस्ट के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों से राजस्थान नगरीय सुधार अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 1959 की 35) के अंतर्गत गठित एक ट्रस्ट बना रहे।

[अधिसूचना सं. 25/2026/फा. सं. 300195/29/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव